

राजस्थान विधान सभा

प्रथम सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 07 जनवरी, 2009

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनाएं

(1) श्री शांती कुमार धारीवाल, उद्योग मंत्री वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे :-

1. अधिसूचना संख्या-एफ.12(44)वित्त/कर/07-33 दिनांक 24.7.2008 जिसके द्वारा मैसर्स पीजी फॉइल्स लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम फॉइल्स के सी-फार्म पर विक्रय करने की स्थिति में केन्द्रीय बिक्री कर की दर एक प्रतिशत की गई है ।
2. अधिसूचना संख्या-एफ.2(26)वित्त/कर/1998-पार्ट-34 दिनांक 28.7.2008 जिसके द्वारा निजी कृषि भूमिधारी/निजी निवेश विकासकर्ता/निजी निवेश कर्ता एवं टाउनशिप परियोजनाओं को मुद्रांक शुल्क से छूट दी गई है ।
3. अधिसूचना संख्या-एफ.12(28)वित्त/कर/07-पार्ट-35 दिनांक 2.8.2008 जिसके द्वारा डाईंग प्रिन्टिंग और टैक्सटाईल प्रोसेसिंग इकाइयों को वैट में छूट दी है ।
4. अधिसूचना संख्या-एफ.2(21)वित्त/कर/2000-36 दिनांक 5.8.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(21)/वित्त/कर/2000-23 दिनांक 19.5.2007 में संशोधन किया गया है ।
5. अधिसूचना संख्या-एफ.2(6)वित्त/कर/03-37 दिनांक 5.8.2008 जिसके द्वारा रीको हेतु काशतकारों से अवाप्त की जाने वाली भूमि के बदले काशतकारों को आवंटित 25 प्रतिशत तक विकसित भूमि के संबंध में खातेदारी/भू-स्वामी स्वयं के नाम निष्पादित दस्तावेजों पर देय मुद्रांक कर का परिहार किया गया है ।
6. अधिसूचना संख्या-एफ.2(50)वित्त/कर/06-पार्ट-38 दिनांक 5.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को आवंटित भूमि पर मुद्रांक शुल्क में छूट दी गई है ।
7. अधिसूचना संख्या-एफ.20(1)वित्त/कर/90-पार्ट-39 दिनांक 5.8.2008 जिसके द्वारा गांधीनगर क्लब, जयपुर को विलासिता कर में छूट दी गई है ।
8. अधिसूचना संख्या-एफ.12(3)वित्त/कर/08-40 दिनांक 5.8.2008 जिसके द्वारा सर्किट हाउस व डाक बंगला को वैट अधिनियम की सूची में शामिल किया गया है ।
9. अधिसूचना संख्या-एफ.12(3)वित्त/कर/08-41 दिनांक 5.8.2008 जिसके द्वारा सर्किट हाउस व डाक बंगला पर उपलब्ध समस्त खाद्य सामग्री को छूट दी गई है ।

10. अधिसूचना संख्या-एफ.12(53)वित्त/कर/07-42 दिनांक 5.8.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.12(63)वित्त/कर/2005-70 दिनांक 11.7.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।
11. अधिसूचना संख्या-एफ.2(25)वित्त/कर/08-43 दिनांक 14.8.2008 जिसके द्वारा रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कम्पनी, जयपुर को ऑथोराइज्ड कैपिटल रूपये 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रूपये करने हेतु निष्पादित दस्तावेज /विलेख पर देय मुद्रांक कर में छूट प्रदान की गई है ।
12. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-44 दिनांक 14.8.2008 जिसके द्वारा पर्यावरण व हैल्थ सेस से संबंधित निर्धारण अधिकारियों की सूची जारी की गई है ।
13. अधिसूचना संख्या-एफ.12(18)वित्त/कर/07-45 दिनांक 18.8.2008 जिसके द्वारा उत्तर भारतीय रेलवे को हाई स्पीड डीजल पर कर में 10 प्रतिशत सशर्त छूट प्रदान की गई है ।
14. अधिसूचना संख्या-एफ.16(3)वित्त/कर/04-पार्ट-II-46 दिनांक 20.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू ऐडेड टैक्स, नियम, 2006 में संशोधन किये गये हैं ।
15. अधिसूचना संख्या-एफ.12(41)वित्त/कर/2006-47 दिनांक 22.8.2008 जिसके द्वारा वर्ष 2006-07 व 2007-08 के लिये भांग हेतु कम्पोजिशन स्कीम जारी की गई है ।
16. अधिसूचना संख्या-एफ.12(41)वित्त/कर/2006-48 दिनांक 22.8.2008 जिसके द्वारा डोडापोस्त के लिये कम्पोजिशन स्कीम जारी की गई है ।
17. अधिसूचना संख्या-एफ.12(22)वित्त/कर/08-49 दिनांक 25.8.2008 जिसके द्वारा डीलरों के लिये वर्ष 2006-07 व 2007-08 के वार्षिक कर निर्धारण के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है ।
18. अधिसूचना संख्या-एफ.2(34)वित्त/कर/08-50 दिनांक 27.8.2008 जिसके द्वारा कूप द्वारा भू-पुनर्भरण योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों को देय अनुदान हेतु निष्पादित किये जाने वाले परिवचन पत्र पर देय मुद्रांक शुल्क राशि 10/- रूपये का परिहार किया गया है ।
- 19- अधिसूचना संख्या-एफ.12(57)वित्त/कर/2008-51 दिनांक 27.8.2008 जिसके द्वारा विदेशी डिप्लोमेट्स को देय रिफण्ड के संबंध में उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, जयपुर-प्रथम को प्राधिकृत किया गया है ।
20. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-पार्ट-52 दिनांक 27.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू ऐडेड टैक्स, एक्ट, 2003 की अनुसूची संख्या-4 में संशोधन किया गया है ।
21. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-पार्ट-53 दिनांक 27.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू ऐडेड टैक्स, एक्ट, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ।
- 22- अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-पार्ट-54 दिनांक 27.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू ऐडेड टैक्स, एक्ट, 2003 की धारा-8(3) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये माल पर कर की दर 4 प्रतिशत की गई है ।

- 23- अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-पार्ट-55 दिनांक 27.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स, एक्ट, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ।
24. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-पार्ट-56 दिनांक 27.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स, नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ।
25. अधिसूचना संख्या-एफ.12(85)वित्त/कर/07-57 दिनांक 29.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स, एक्ट, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ।
26. अधिसूचना संख्या-एफ.12(85)वित्त/कर/07-58 दिनांक 29.8.2008 जिसके द्वारा भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम की खरीद पर कर में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है ।
27. अधिसूचना संख्या-एफ.4(39)वित्त/कर/96-59 दिनांक 29.8.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-85 दिनांक 25.2.2008 में संशोधन किया गया है ।
28. अधिसूचना संख्या-एफ.4(39)वित्त/कर/96-60 दिनांक 29.8.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-84 दिनांक 25.2.2008 में संशोधन किया गया है ।
29. अधिसूचना संख्या-एफ.12(114)वित्त/कर/07-61 दिनांक 29.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स, नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ।
30. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/08-पार्ट-62 दिनांक 30.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स, नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ।
31. अधिसूचना संख्या-एफ.10(47)वित्त/कर/93-63 दिनांक 2.9.2008 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म " चैन कुली की मैन कुली" के प्रदर्शन को दिनांक 3.9.2008 से 17.9.2008 तक की अवधि के लिये मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है ।
32. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/08-पार्ट-64 दिनांक 2.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट , 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ।
33. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/08-65 दिनांक 6.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ।
34. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/08-66 दिनांक 6.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ।
35. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/08-67 दिनांक 6.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ।
36. अधिसूचना संख्या-एफ.4(4)वित्त/कर/2001-68 दिनांक 8.9.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.12(63)वित्त/कर/2005-172 दिनांक 31.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।

37. अधिसूचना संख्या-एफ.4(4)वित्त/कर/2001-69 दिनांक 8.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ।
38. अधिसूचना संख्या-एफ.4(4)वित्त/कर/2001-70 दिनांक 8.9.2008 जिसके द्वारा बीपीएल/अन्तयोदय परिवारों को पीडीएस की उचित मूल्यों की दुकानों द्वारा आयातित खाद्य तेल विक्रय पर वैट में छूट प्रदान की गई है ।
39. अधिसूचना संख्या-एफ.12(23)वित्त/कर/08-71 दिनांक 9.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ।
40. अधिसूचना संख्या-एफ.12(23)वित्त/कर/08-72 दिनांक 9.9.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/08-76 (समय-समय पर यथा संशोधित) दिनांक 25.2.2008 में संशोधन किया गया है ।
41. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/2008-पार्ट-73 दिनांक 12.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ।
42. अधिसूचना संख्या-एफ.12(71)वित्त/कर/07-74 दिनांक 12.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ।
43. अधिसूचना संख्या-एफ.4(24)वित्त/कर/90-पार्ट-75 दिनांक 15.9.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.12(63)वित्त/कर/2005-81 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।
44. अधिसूचना संख्या-एफ.12(44)वित्त/कर/07-76 दिनांक 10.10.2008 जिसके द्वारा एल्युमिनियम फॉइल पर केन्द्रीय विक्रय कर की कन्सेशनल रेट एक प्रतिशत की गई है ।
45. अधिसूचना संख्या-एफ.12(15)वित्त/कर/05-77 दिनांक 10.10.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.4(18)वित्त/कर/डीवी/2001-74 दिनांक 28.7.2003 में संशोधन किया गया है ।
46. अधिसूचना संख्या-एफ.12(33)वित्त/कर/08-78 दिनांक 10.11.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ.12(63)वित्त/कर/2005-172 दिनांक 31.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।
47. अधिसूचना संख्या-एफ.12(33)वित्त/कर/08-79 दिनांक 10.11.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ।
48. अधिसूचना संख्या-एफ.12(33)वित्त/कर/08-80 दिनांक 10.11.2008 जिसके द्वारा कतिपय पेट्रोलियम कम्पनियों को विक्रय पर सशर्त 4 प्रतिशत से अधिक कर पर छूट प्रदान की गई है ।
49. अधिसूचना संख्या-एफ.12(33)वित्त/कर/08-81 दिनांक 10.11.2008 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स, 2003 की धारा-4 के अन्तर्गत हाई एण्ड लाईट स्पीड डीजल तथा पेट्रोल के विक्रय पर कर लगाया गया है ।

3. वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।
2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231(1) के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क' के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।
3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231(1) के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख' के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।
4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।"

4. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्या-3)

"बीकानेर विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित करने और बीकानेर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में कतिपय संशोधन करने के लिये विधेयक"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(2) महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2009

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

महात्मा ज्योतिराव फुले
विश्वविद्यालय, जयपुर
विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-4)

"राजस्थान राज्य में महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(3) मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ विधेयक, 2009

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़
विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-5)

"राजस्थान राज्य में मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(4) श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल
टिबरेवाल विश्वविद्यालय,
चुडेला (झुंझुनूं) विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-6)

"राजस्थान राज्य में श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुंझुनूं) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(5) राजस्थान नगरपालिका विधेयक, 2009

- (I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान नगरपालिका
विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-2)

"राजस्थान राज्य में नगरपालिकाओं से संबंधित विधियों को समेकित करने और संशोधित करने और उनसे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

डॉ. रघु शर्मा (वि.सं.-137), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 जनवरी, 2009 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

एच.आर. कुडी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 06 जनवरी, 2009